भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1150

(जिसका उत्तर मंगलवार, 6 मार्च, 2018 को दिया गया)

ऑडिट फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई

1150. श्रीमती विजिला सत्यानंत :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने ऑडिट फर्मों पर जुर्माना लगाने के लिए और अधिक शक्ति प्रदान किये जाने की मांग की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि आईसीएआई के सदस्यों का एक बड़ा वर्ग कुछ ऑडिट फर्मों के विरुद्ध और कदम उठाने की मांग कर रहा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (घ) : चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (अधिनियम) में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के सदस्यों पर शास्तियां लगाने का प्रावधान है। आईसीएआई ने इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया था ताकि इसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षा फर्मों के पंजीकरण, लेखा परीक्षा फर्मों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की प्रक्रिया (वैयक्तिक सदस्यों के लिए इसी प्रकार की प्रक्रिया के अनुरूप) और लेखा परीक्षा फर्मों पर शास्तियां लगाने का प्रावधान किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के गठन का प्रावधान है और इस धारा की उपधारा (4) एनएफआरए को लेखा परीक्षा फर्मों पर शास्तियां लगाने का अधिकार प्रदान करती है।

*****